

## संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.

क्रमांक/ ७७३२ /छात्र/काउंसिलिंग/संचिशि/2023

रायपुर, दिनांक/०२/०८/२०२३

—::: सूचना ::—

### प्रवेश वर्ष – 2023 NEET-UG (MBBS & BDS)

राज्य के चिकित्सा, दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पश्चात यथाशीघ्र उक्त पाठ्यक्रम हेतु आबंटन जारी किए जायेंगे।

अतः अभ्यर्थी मूल दस्तावेजों की संवीक्षा हेतु आवश्यक सभी वांछित दस्तावेज तैयार रखें। जिससे दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थी अपात्र होने से बच सके। {देखें छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम-2018 के नियम-७ (xxi) (अ) एवं (ब)}

दिव्यांगजन संवर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश नियम-2018 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी नियमानुसार निर्धारित समयावधि में तैयार प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, अन्य प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र नहीं है, वे इस हेतु आवेदन कर मान्य प्रमाण-पत्र बनवा लें, अन्यथा वे संवीक्षा में अपात्र होने पर काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।

  
02/08/2023

अध्यक्ष

काउंसिलिंग समिति  
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा  
छत्तीसगढ़